SHODH SAMAGAM

ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)

बिहार के थारू जनजाति की वर्त्तमान सामाजिक एवं आर्थिक स्थितिः एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

रश्मि, पी—एचडी, समाजशास्त्र विभाग (स्नातकोत्तर केन्द्र)
अनुग्रह नारायण महाविद्यालय, पटना, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना, बिहार, भारत

ORIGINAL ARTICLE

Author
रश्मि, पी—एचडी
E-mail : rashmisingh50662@gmail.com

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 20/01/2026
Revised on : 21/03/2026
Accepted on : 30/03/2026
Overall Similarity : 00% on 22/03/2026

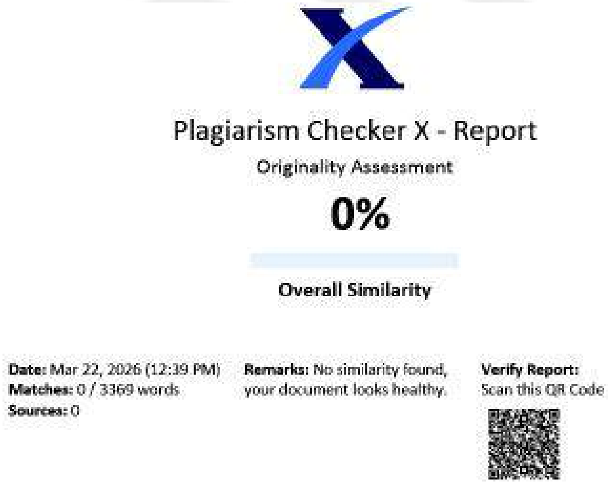

शोध सार

प्रस्तुत शोध आलेख ''बिहार के थारू जनजाति की वर्त्तमान सामाजिक एवं आर्थिक स्थितिः एक समाजशास्त्रीय अध्ययन थारू जनजाति को समर्पित है। बिहार की थारू जनजाति सभ्य समाज से दूर पश्चिम चम्पारण में प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधनों से सम्पन्न बिहार का एक जिला है। इसका मुख्यालय बेतिया है। इन क्षेत्रों में अवस्थित प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग थारू जनजातियों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए अतिआवश्यक है। इस अध्ययन के प्रमुख दो उद्देश्य हैं—(1) थारू जनजाति की वर्तमान सामाजिक संरचना का अध्ययन (2) थारू जनजाति के वर्तमान आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना है। शोध पद्धति में प्राथमिक तथा द्वितीयक स्रोतों का सहारा लिया गया है। इसमें थारू जनजाति के वर्तमान स्थिति में बदलाव लाने के लिए इन्हें शिक्षित करने के साथ सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में परिवर्तन का प्रयास किया गया है ताकि इस क्षेत्र में रह रहे थारू जनजाति का विकास हो सके।

मुख्य शब्द

जनजाति, थारू, सामाजिक परिवर्तन, संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण.

प्रस्तावना

भारत विविधता में एकता वाला देश माना जाता है। यहाँ अनेक जातियाँ—जनजातियाँ एवं अनेक धर्म और विभिन्न भाषाएँ बोलने वाले समूह निवास करते हैं। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे समूह निवास करते हैं, जो आज भी सभ्यता तथा संस्कृति से वंचित रहे हैं जो सभ्य समाज से दूर जंगलों, पहाड़ों एवं पठारी क्षेत्रों में निवास करते हैं। इन्हीं समूह को जनजातीय, आदिम समाज, वन्य

जाति तथा आदिवासी आदि नामों से भी जाना जाता है। जनजाति समाज की संस्कृति अन्य समाजों से मिलन होती है। उसके रीति रिवाज, विश्वास, भाषा और स्थान अलग होते हैं।

2011 की अनसंख्या के लगभग भारत की कुल जनसंख्या का 8.6 प्रतिशत भाग जनजातीय समुदाय का है। जिसमें से 75 जनजातीय समूह ऐसे भी हैं जो अभी भी सभ्य समाज से दूर है जिसे सरकार ने उसे जनजातीय विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) के रूप में रखा है।[1]

जनजातीय समुदाय भारत के लगभग 15 प्रतिशत क्षेत्रों में विभिन्न पारिस्थितकीय और भौगोलिक जलवायु में मैदानी और जगलों से लेकर पहाड़ों जैसे अगम्य क्षेत्रों में रहते हैं यहाँ अपनी जीवन शैली रीति–रिवाज संस्कृति एवं विवादों का निराकरण की प्रथा विकसित की तथा पहाड़ों, भूमि, नदी, वन एवं प्रकृति को ईश्वर के रूप में अपनाया इसके अधिकांश रीति–रिवाज प्रथाएँ एवं संस्कृति प्रकृति से जुड़ी है। सैकड़ों वर्षों से इन स्थानों पर रहने से यहाँ समुदाय राष्ट्र की मुख्यधारा से पृथक रहा इस अलगाव ने इन्हें गरीबी, अज्ञानता, कुपोषण, अस्वस्थता एवं शोषण द्वारा सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक पिछड़ेपन की ओर पहुँचाया, जिस कारण इस समुदाय के अधिकांश जनसंख्या आज भी सामाजिक–आर्थिक और शैक्षणिक विकास से निम्न स्तर में है. जबकि कुछ ही जनजातीय समुदाय ने मुख्यधारा की जीवन शैली अपना ली है।[2] जिसमें से थारु जनजाति जो लगभग मुख्यधारा की जीवनशैली को अपना रही है थारु जनजाति का मुख्य रूप से उत्तरी भारत के नेपाल तराई क्षेत्र में पाई जाती है। यहाँ मुख्यता बिहार उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड में भी पाई जाती है। बिहार में पश्चिम चम्पारण जिले के उत्तरी क्षेत्र में नेपाल से सटे हुए क्षेत्र में थारू बसे हुए हैं। इसकी आबादी वर्तमान 2001 की जनगणना के आधार पर 4 लाख से अधिक मानी जा रही है। थारू जनजाति के रूप में इनकी कोई विशिष्ट गणना नहीं हुई है, परन्तु इस जिले के चार प्रखंड रामनगर बगहा–2, गौनाहा तथा मैनाटांड में बसे लोगों के जातीय उपनामों के आधार पर थारूओं की संख्या का अनुमान लगाया गया है। 1991 की जनगणना में इनकी जनसंख्या का यही आधार था। उस समय थारू की जनसंख्या लगभग 3 लाख आंकी गई थी।[3]

इस समुदाय के अधिकांश लोग अपनी परम्परागत आजीविका के लिए वनों पर आश्रित रहते हैं। हालाँकि समुदाय के कुछ लोग कृषि कार्य भी करते हैं तथा पशुपालन का भी कार्य करते हैं, जैसे–मुर्गी, सूअर, गाय, बकरी, आदि जानवरों का पालन करके अपनी आजीविका का निर्वाह करती है। थारू जनजाति के लोग को मंगोल प्रजाति का माना जाता है। इनका कद औसत, गाल फुले हुए, आँखे औसत से कुछ छोटी, समतल नक्स, शारीरिक गठन सुडौल तथा मुखाकृति चौड़ी होती है। पुरुषों की तुलना में स्त्रियाँ आकर्षक होती है। थारू जनजाति की उपजातियाँ भी पाई जाती है। जो प्रमुख रूप से राणा, कठेरिया, डोंगरिया, जोगिया, पछिमहा आदि उपजातियाँ हैं। थारू जनजाति में पितृसत्तात्मक परिवार होता है। थारु जनजाति में अधिकांशतः संयुक्त परिवार की प्रथा पाई जाती है। थारू जनजाति में विवाह अंतर्विवाह तथा बहिर्विवाह दोनों प्रकार की पाई जाती है। थारू जनजाति के परिवार का मुखिया घर का वृद्ध पुरुष होते हैं। संपत्ति का हस्तांतरण पिता द्वारा पुत्र को प्राप्त होता है। संपत्ति का पिता के पश्चात् सभी पुत्रों में बराबर बाँट दिए जाता हैं। इस जनजाति में नातेदारी व्यवस्था हिंदू नातेदारी व्यवस्था से पूर्ण रूप से प्रभावित है।

इस जनजाति में नातेदारी व्यवस्था हिंदू नातेदारी व्यवस्था से प्रभावित हैं। थारू जनजाति में शादी पक्की होती है, तो उसे पक्कीपौढ़ी कहा जाता है। इस विवाह में दोनों लोगों का खर्च होता है। इस जनजाति में शादी को जो संपन्न कराते हैं उसे भरार कहते हैं। इस जनजाति में विधवा विवाह का भी प्रचलन है। विधवा विवाह के भोज को लड्डा भरवा भोज कहते हैं। थारू जनजाति में देवर भाभी, जीजा साली, मामा भांजा में परिहास संबंध पाया जाता है परंतु कुछ ऐसे रिश्ते जिसमें नाम भी नहीं ले सकते हैं, जैसे–जेठ, ससुर, सास, बड़ी ननद, बड़े नंदोई का नाम बहु नहीं ले सकती हैं जिसे परिहार संबंध भी कहते हैं।

थारू जनजाति के लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। वे भूत–प्रेत और जादू–टोना में विश्वास रखते हैं। थारू जनजाति में हिंदू धर्म के लोगों की तरह ही सभी पर्व त्योहार को मनाते हैं, लेकिन दीपावली को यह शोक के रूप

में मनाते हैं लेकिन यह परम्परा बिहार में देखने को नहीं मिलती। बजहर नाम त्यौहार जेठ अथवा वैसाख के दिनों में मनाते हैं। इनके प्रमुख त्यौहारों में से एक वरणा त्यौहार है, जिसे भादो के महीने में मनाते हैं। इसमें ढाई दिन के लिए अपने घर में बंद रहते हैं, जिसमें पूर्ण लॉकडाउन की स्थिति हो जाती है। यह प्रकृति की रक्षा के लिए इस पर्व को मनाते हैं।

जनजातियों के बारे में अनेक समाजशास्त्रीय विद्वानों ने अपने अनुसार जनजातियों को परिभाषित किया:

मजूमदार के अनुसार, कोई जनजाति परिवारों का ऐसा समूह हैं जिनका एक समान नाम है, जिसके सदस्य एक भू–भाग पर निवास करते हैं तथा विवाह व्यवसाय के संबंध में कुछ निषेधाज्ञाओं का पालन करते हैं एवं जिन्होंने एक आदान–प्रदान संबंध तथा पारस्परिक कर्तव्य विषयक एक निश्चित व्यवस्था का विकास कर लिया है।

राम क्लिंटन के अनुसार, सरल रूप में जनजाति ऐसी टोलियों का समूह है जिसका एक सानिध्य वाले भूखंडों पर अधिकार ही और उसमें एकता की भावना संस्कृति में गहन सामान्य सामान्यताः निरंतर संपर्क तथा कतिपय सामुदायिक हितों में समानता से उत्पन्न हुई हो।

हमारे भारत में अनुसूचित जनजातियों के लिए सविधान में उल्लेखनीय विधि है कि संविधान के अनुच्छेद 366 (25) के अनुसार उन्हीं जनजातीय समुदायों को अनुसूचित जनजाति घोषित की जाती है, जो संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत दर्ज होते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक सार्वजनिक अधिसूचना या संसद द्वारा संबंधित अधिनियम में संशोधन के पश्चात् जनजातीय समुदायों को अनुसूचित जनजाति घोषित किया जाता है।

भारत सरकार किसी भी समूह को अनुसूचित जनजाति की मान्यता देने के लिए निम्न संकेतों का उपयोग करती हैं।[4] वे निम्न प्रकार है:

(क) आदिम जनजाति को जनजाति गुण,

(ख) अनूठी संस्कृति,

(ग) आम लोगों से संपर्क करने से कतराना:

(घ) भौगोलिक अलगाव, और

(ङ) पिछड़ापन।

अध्ययन का उद्देश्य

इस अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य हैं:

1. थारू जनजाति की वर्तमान सामाजिक संरचना का अध्ययन।
2. थारू जनजाति के वर्तमान आर्थिक स्थिति का अध्ययन।

साहित्यावलोकन

साहित्य समीक्षा का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शोध कार्य करने से पूर्व, उपलब्ध साहित्य का विश्लेषण और अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक होता है। इसके माध्यम से शोधकर्ता को वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप शोध की दिशा और मार्ग का निर्धारण करने में मदद मिलती है। शोध समस्या और उद्देश्य का स्पष्टीकरण करने में साहित्य समीक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। समीक्षा के माध्यम से पूर्वगत शोध और उनके परिणामों का अध्ययन करने से नई समस्याओं का पता लगता है, और इससे नये उद्देश्यों का स्पष्टीकरण होता है।

इस प्रकार, साहित्य समीक्षा शोध कार्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह शोधकर्ता को निरंतर और अभिवृद्धि करने में मदद करती है।

सुभाष चन्द्र वर्मा (2008)[5] ने अपनी पुस्तक 'थारू जनजातिः एक समाजशास्त्रीय अध्ययन में थारू जनजाति के जीवन स्तर के विकास की विविधता को विस्तार से वर्णित किया है। प्राचीन काल में, थारू जनजाति एक

खानाबदोश जनजाति थी जो केवल जंगलों पर निर्भर थी। उनका जीवन घुमक्कड़ी के रूप में बीतता था, जो हिमालय की तराई के जंगलों में विचरण के रूप में जीते थे। उनका आर्थिक और सामाजिक जीवन बहुत ही सरल था। जैसे–जैसे समय बदला, थारू समुदाय के जीवन में भी परिवर्तन आया। आधुनिकता के साथ, जंगलों की कटाई और खेती–पशुपालन उद्योग का विकास हुआ। इसके परिणामस्वरूप, थारू समुदाय का जीवनशैली में परिवर्तन आया। अब वे जंगलों के बजाय स्थायी घरों में निवास करने लगे थे। वे अब कृषि और पशुपालन पर आधारित रहते हैं। वर्मा ने अपनी पुस्तक में थारू समुदाय के इस जीवनशैली के परिणामों और उनके सामाजिक संगठन के बारे में विस्तार से विवेचन किया है। उन्होंने समय के साथ थारू समुदाय के आधुनिकीकरण के प्रक्रिया को माप्य दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया है और इसके साथ ही उनके सामाजिक, आर्थिक, और सांस्कृतिक असरों का विश्लेषण किया है।

डॉ. प्रकाश चंद्र दुबे (2009)[6] ने अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर 'थारू' एक अनूठी जनजाति का सामाजिक और सांस्कृतिक अध्ययन' नामक पुस्तक लिखी है। यह पुस्तक 2009 में बिहार सोशल इंस्टिट्यूट, पटना द्वारा प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक को लिखने से पहले, डॉ. दुबे ने थरूहट क्षेत्र की व्यापक अन्वेषण किया, जिसमें वे थारू समुदाय की सभी प्रमुख संस्थाओं का विस्तृत अध्ययन करने में समर्थ रहे हैं और उनके बारे में विस्तार से लिखा है। उन्होंने इस पुस्तक में थारू समुदाय के सभी पहलुओं का संवादात्मक वर्णन किया है, चाहे वो उनकी उत्पत्ति, सामाजिक–सांस्कृतिक संरचना, वेशभूषा, भाषा, साहित्य, कला, धर्म, या स्वास्थ्य के बारे में हो। उनका कहना है कि थारू समुदाय के कुछ पारंपरिक प्रथाओं पर हिन्दू संस्कृति का प्रभाव हो सकता है, लेकिन वे अपनी जातीय परंपरा और संस्कृति को साक्षर बनाऐ रखते हैं, हालांकि तकनीकी विकास और वैष्विकीकरण के दौर में थारू समुदाय कैसे परिवर्तित हो रहा है, इस पर डोर नहीं बाजू दिया है फिर भी, यह पुस्तक शोधकों के लिए एक महत्वपूर्ण संदर्भ प्रदान करती है, और उनके अध्ययन को नेतृत्व करती है। उनका यह अध्ययन बिहार के चम्पारण जिले के थारू समुदाय पर केन्द्रित है।

सल्तनत बेनजीर (2018)[7] द्वारा लिखी गई 'एम्पॉवर्मेन्ट विद् रिगार्ड टू सोशल मीडिया अमंग द थारू ऑफ बहराइच डिस्ट्रिक्ट इन उत्तरप्रदेश' में महिला सशक्तिकरण के महत्व को प्रकट किया गया है। लेखक बताते हैं कि महिला सशक्तिकरण उन्हें स्वतंत्रता और सामाजिक सम्मान प्राप्त करने की क्षमता प्रदान करता है। आधुनिक तकनीक और संचार के युग में, सोशल मीडिया और इंटरनेट इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। सोशल मीडिया और मीडिया महिलाओं को रुढ़िवादी सोच से मुक्ति प्राप्त करने का माध्यम प्रदान करते हैं। इससे महिलाएँ अपनी आवाज बुलंद करती है और सामाजिक बाधाओं को पार करने का साहस दिखाती हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से, थारू महिलाएँ न केवल अपने क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने में सफल हुई हैं, बल्कि वे अन्य समाजों तक भी अपने संदेश को पहुँचाने में सक्षम हुई हैं।

इस लेख में सल्तनत बेनज़ीर ने सामाजिक मीडिया के महिला सशक्तिकरण में भूमिका को गहराई से समझाया है। वह उन महिलाओं की सफलता की कहानियाँ को साझा करके दिखाती है, जो सोशल मीडिया के माध्यम से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल हुई हैं।

थारू जनजाति के बारे में अध्ययन करने वाले अध्येताओं ने मुख्य रूप से इस जनजाति की सामाजिक–सांस्कृतिक पहचान और उनकी प्राकृतिक जीवनशैली पर ध्यान केन्द्रित किया है। यह अध्ययन उनकी भौगोलिक स्थिति, वन्य जीवन, वेशभूषा, भाषा, साहित्य, कला या स्वास्थ्य के बारे में उनकी समाजिक संगठन, और धार्मिक अनुयायियों के परंपरागत अनुसार आदि के प्रभाव को विश्लेषित करता है एवं सोशल मीडिया और इंटरनेट ने महिलाओं को रूढ़िवाद से मुक्ति दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है आदि के प्रभाव को संदर्भित करता है।

थारू जनजाति की सामाजिक संरचना में हो रहे परिवर्तन और आर्थिक संरचना का अध्ययन अभाव से गुजरता है। यह अध्ययन उनकी वर्तमान स्थिति, आर्थिक विकास, शिक्षा, रोजगार, परिवर्तन के प्रभाव को भी समझने के लिए इस अध्ययन की आवश्यकता है। इसलिए, थारू जनजाति की वर्तमान सामाजिक और आर्थिक संरचना का अध्ययन करने की आवश्यकता है, ताकि उनकी समस्याओं को समझा जा सके और उन्हें समाधान के लिए उपाय ढूँढ़ा जा

सके। इसके लिए, सामाजिक वैज्ञानिक अध्ययन, आर्थिक अनुसंधान और नीति निर्माण के क्षेत्र में अधिक अध्ययन की आवश्यकता है।

अध्ययन का क्षेत्र

अध्ययन के लक्ष्य को दृष्टि में रखते हुए। बिहार के पश्चिम चम्पारण जिला के गौनाहा प्रखंड के दोमाठ ग्राम का चयन किया गया है। बिहार राज्य के पश्चिम चम्पारण में उत्तरी क्षेत्र में स्थित हैं। पश्चिम चम्पारण को तीन अनुमंडल और 18 प्रखंडों में बांटा गया है। अनुमंडल बेतिया, बगहा और नरकटियागंज तथा कुल ग्राम पंचायतों की संख्या 315, कल गाँव की संख्या 1483 तथा नगर पंचायत 5 जनसंख्या घनत्व 7530 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जिसकी कुल जनसंख्या 39.35 लाख है जिसमे थारू जनजाति के कुल जनसंख्या लगभग तीन लाख है। यह अँकड़ा जनसंख्या जनगणना रिपोर्ट 2011 में लिया गया है। डोमाठ ग्राम के कुल जनसंख्या 2215, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 1802 है। अध्ययन को समपुष्ट करने के साक्षात्कार का सहारा लिया गया है।

शोध पद्धति

प्रस्तुत शोध कार्य में शोधार्थी द्वारा वैयक्तिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया गया है। गुणात्मक एवं मात्रात्मक उपकरण पद्धति का प्रयोग किया गया है। प्रश्नावली अनुसूची उपकरण का प्रयोग किया गया तथा साक्षात्कार, वैयक्तिक अध्ययन अवलोकन तकनीक का भी प्रयोग किया गया है। अंततः इसके साथ ही वर्णनात्मक अनुसंधान प्रारचना का प्रयोग भी किया गया है।

प्रस्तुत शोध कार्य में प्राथमिक एवं द्वितीयक आँकड़ों का प्रयोग किया गया है। प्राथमिक आँकड़ों में साक्षात्कार एवं अवलोकन का भी प्रयोग किया गया है। प्राथमिक आँकड़ों के अंतर्गत मौलिक तत्व होते हैं। उन्हें संचालित तथा प्रेरित करने का उत्तरदायित्व उन्हीं व्यक्तियों का होता है, जिसने तथ्यों का संग्रहित किया है। प्राथमिक दस्तावेज आँखों देखा होता है तथा द्वितीयक आँकड़ों में प्रकाशित प्रलेख प्रकाशित ऑकड़े, रिकॉड्र्स एवं व्यक्तिगत प्रलेख आदि होता है।

परिणाम

2011 की जनगणना के अनुसार, भारत की कुल जनसंख्या का 8.6 प्रतिशत भाग जनजाति समुदाय का था, जबकि 2001 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या का 8.2 प्रतिशत जनजातीय समुदाय का था। भारत की थारू जनजातियों के उनके सादगी, सच्चाई, ईमानदारी, अतिथि सेवा, प्रकृति प्रेम एवं उसका हंसमुख स्वभाव के लिए भी जाना जाता है।

मैकाईवर एवं पेज ने सामाजिक परिवर्तन भी स्पष्ट करते हुए बताया है कि समाजशास्त्री होने के नाते हमारा प्रत्यक्ष संबंध सामाजिक संबंधों से और उसमें आये हुए परिवर्तन को हम सामाजिक परिवर्तन कहेंगे।[8]

उपरोक्त परिभाषाओं के संबंध में कहा जा सकता है कि परिवर्तन एक व्यापक प्रक्रिया है। समाज में परिवर्तन सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, नैतिक, भौतिक आदि सभी क्षेत्रों में होने वाले किसी भी प्रकार के परिवर्तन से कहा जा सकता है।

भारत में जनजातियों में परिवर्तन के प्रमुख उपकरणों में से संस्कृतिकरण तथा पश्चिमीकरण दोनों उपकरणों की प्रमुख भूमिका रही है।

संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है, जिसके द्वारा कोई निम्न हिन्दू जाति या कोई जनजाति अथवा कोई अन्य समूह किसी उच्च और प्रायः द्विज जाति के दिशा में अपनी रीति–रिवाज कर्म काण्ड, विचारधारा और जीवन पद्धति को बदलता है।[9]

मिल्टन हिंगर ने एम.एन. श्रीनिवास की इस अवधारणा की प्रशंसा करते हुए कहा है कि संस्कृतिकरण परिवर्तन का एक अत्यन्त विस्तृत तथा सर्वमान्य मानवशास्त्रीय सिद्धांत है।[10]

भारतीय समाज और संस्कृति के विभिन्न पक्षों में पश्चिमी संस्कृति के सम्पर्क में आने वाले परिवर्तन को पश्चिमीकरण के नाम से जाना जाता है।

एम. एन. श्रीनिवास के अनुसार, '150 वर्षों के अंग्रेजी राज के फलस्वरूप भारतीय समाज और संस्कृति में होने वाले परिवर्तन के लिए अन्यत्र मैंने 'पश्चिमीकरण' शब्द का प्रयोग किया है और यह शब्द औद्योगिक संस्थाएँ, विचारधारा और मूल्य आदि विभिन्न स्तरों पर होने वाले परिवर्तनों को आत्मसात करता है।'[11]

पश्चिमीकरण से तात्पर्य है कि अंग्रेजी के शासन काल में होने वाले परिवर्तन एवं प्रभावी की श्रृंखला से है, जिसमें पश्चिमी संस्कृति की अच्छाईयों, आधुनिक एवं प्रगतिशील विचारों से प्रभावित होने के साथ–साथ उस संस्कृति की बुराईयों, विकृतियों एवं प्रलोभनों के सम्पर्क में आना भी शामिल है। पश्चिमीकरण के प्रभाव के परिणामस्वरूप भारतीय समाज एवं संस्कृति में प्रभाव देखने को मिलता है लेकिन आधारभूत संरचना में अधिक परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। जैसे–परिवार संरचना, जाति प्रथा, विवाह व्यवस्था, धार्मिक कर्मकाण्ड, नातेदारी संरचना एवं शैक्षणिक संरचना में बदलाव आये हैं, लेकिन मूलभूत संरचना बनी ही है। संस्कृतिकरण एवं पश्चिमीकरण का भी प्रभाव जनजातियों पर देखने को मिलता है।

थारू जनजाति के वर्तमान सामाजिक–आर्थिक स्थिति को जानने के लिए उस समाज के शिक्षा, घरेलू आय, व्यवसाय, परिवार का आकार, आवासीय स्थिति, एवं किस उम्र में शादी करना पसंद करते हैं आदि का अध्ययन करना अनिवार्य हैं।

2011 की जनगणना के अनुसार, बिहार के पश्चिम चम्पारण की कुल जनसंख्या 39.35 लाख में से पुरुष की कुल जनसंख्या 20,61,110 और महिला की कुल जनसंख्या 18,73,932 थी। 2011 में पश्चिम चम्पारण की औसत साक्षरता दर 55.70 प्रतिशत थी, पुरुष साक्षरता दर 65.5 प्रतिशत, महिला साक्षरता दर 44.6 प्रतिशत थी। पश्चिम चम्पारण का लिंगानुपात 909/1000 है।

निष्कर्ष

अध्ययन से प्राप्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि थारू जनजाति में एकांकी परिवार की संख्या में वृद्धि हो रही है, परन्तु संयुक्त परिवार की संख्या सर्वाधिक है। इनमें आज भी घर का मुख्य फैसला घर के मुखिया ही लेता है, अब मातृत्वसत्तात्मक जैसे–लक्षण नहीं देखने को मिलता, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा घर का मुखिया पुरुष ही थे। थारू जनजाति के लोगों में वैवाहिक दृष्टिकोण में भी परिवर्तन देखने को मिला। विधवा विवाह का भी प्रचलन है, बाल विवाह भी बहुत कम देखने को मिला। अब थारू जनजाति के लोग 21 वर्ष से ऊपर की उम्र में शादी करना पसंद कर रहे है। इस समाज में अब दहेज प्रथा का भी प्रचलन देखने को मिलता है।

अध्ययन से स्पष्ट है कि थारू जनजाति की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो रही है। लोग अपनी मूलभूत आवश्यकता को पूरा कर पा रहे हैं। वे अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए कृषि कार्य, पशुपालन, व्यापार, मजदूरी एवं सरकारी और अर्द्ध सरकारी कार्यों में लगे हुए है तथा वे अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे है। अधिक संख्या में मजदूर कार्यों में लगे हुए है, क्योंकि उनके पास अपना कृषि कार्य के लिए जमीन नहीं है, इसलिए अपनी जीविका के लिए वह अपने गाँव से पलायन कर रहे है। बड़े–बड़े शहरों में आकर मजदूर, दाई का काम, सुरक्षा गार्ड आदि कार्य को कर रहे हैं। थारू जनजाति अपने आस–पास के उच्च जातियों के अनुरूप् ही, वे खान–पान, पोषाक, रहन–सहन के ढ़ंगों में परिवर्तित कर रहे है। धार्मिक क्षेत्र में उच्च सवर्ण जातियों क देवी–देवताओं, व्रत व संस्कारों को अपनाने की प्रवृत्ति बढ़ रही है।

भविष्य के अध्ययन के लिए सुझाव

1. थारूओं की बढ़ रही बेरोजगारी को दूर करने के लिए रोजगार के नये अवसर उपलब्ध कराने की जरुरत है, जिससे वे पलायन के लिए मजबूर न हो।

2. शिक्षा के प्रति जागरुकता बढ़ी है, परन्तु उच्च शिक्षा के लिए इनकी प्रोत्साहित करने की जरूरत है।
3. थारू बहुल इलाको में बुनियादी आवश्यकताओं जैसे–शिक्षा, चिकित्सा, यातायात, बिजली एवं शुद्ध पेयजल आदि का अभाव भी है। अतः इन बुनियादी जरूरतों ये पुरा करने के लिए समुचित प्रयास किया जाना चाहिए।

संदर्भ सूची

1. हरिश्चन्द्र, उत्प्रेती (2000) *भारतीय जनजातियाँः संरचना एवं विकास.* राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर।
2. भारत सरकार वार्षिक प्रतिवेदन, जनजातीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली (2020–11)।
3. दुबे, प्रकाश चन्द्र (2006) *थारू एक अनूठी जनजाति.* बिहार सोशल इंस्टि्च्यूट, पटना।
4. ज्योतिषी, भावना (2017) *भारत में जनजातीय विकास समस्या एवं समाधान.* क्लासिकल पब्लिशिंग कम्पनी, कर्मपुरा, नई दिल्ली।
5. वर्मा, सुभाषचन्द्र (2008) *थारू जनजाति एक समाजशास्त्रीय अध्ययन.* नवयुग पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर, दिल्ली।
6. दुबे, प्रकाष चन्द्र (2009) *थारू एक अनूठी जनजातिः सामाजिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन.* जेवियर इंस्टिच्यूट ऑफ सोशल रिसर्च, पटना।
7. बेनजीर, सल्तनत (2018) उत्तर प्रदेश में बहराईच जिले की अमोन थारू सोशल मीडिया के संबंध में महिला सशक्तिकरण. *सामाजिक विज्ञान में मल्टीडिसिल्पिनरी रिसर्च का अंतर्राष्ट्रीय जर्नल,* 2(2) 45–52।
8. मेकाईवर एवं पेज (1985) *सोसाइटी.* मैकमिलन इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली, पृ. 511।
9. श्रीनिवास, एम.एन. (1967) *आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन.* राजकमल प्रकाशन प्रा. लि., नई दिल्ली।
10. सिंगर, मिल्टन (1959) *ट्रेडिशनः स्ट्रक्चर एण्ड चेंज अमेरिकन फॉकलोर सोसायटी फिलेडिल्फिया,* फिलाडेलफिया, पेन्सिलवेनिया, संयुक्त राज्य अमेरिका।
11. श्रीनिवास, एम.एन. (1967) *आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन.* राजकमल प्रकाशन प्रा. लि., नई दिल्ली।

****